रखनी है तो इस वर्ष विधवा पेंशन राशि को बढ़ाकर 121 करोड़ 20 लाख रू. किया जाना चाहिए। अगर लाभान्वितों की संख्या और बढ़ानी है तो आवंटन राशि को बढ़ाया जाऐ। इसलिए आईये हम सब आगे आयें और मिलकर आवाज उठायें –

'बजट बढ़ाओ
विधवाओं को बचाओ'

नोट : * इस राशि के साथ विधवा एवं विकलांग पेंशनर्स हेतु अनाज सहायता भी जुडी हुई है, जो सरकार ने 2006–07 से शुरू की है। 2006–07 एवं 2007–08 में अनाज सहायता हेतु 15 करोड़ 75 लाख राशि रखी गई है। लेकिन सरकार कोई अनाज सहायता नहीं दे कर इस राशि को ही पेंशन के रूप में आवंटित कर रही है। हमें अभी यह मालुम नहीं चल रहा है कि इस में से कितनी राशि विधवाओं के लिए और कितनी राशि विकलांगों के लिए सरकार अलग से दे रही है। यदि कुल राशि में से विकलांगो को दी जाने वाली राशि को पृथक कर दिया जाए तो (उक्त अनुमानित) लाभान्वित विधवाओं की संख्या घट जाएगी।

The Links : Policy to People and People to Policy

Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. / Fax : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org
Website : www.barcjaipur.org

"निराश्रित विधवा महिलाएं कहां जाएं...?"

विधवा पेंशन बजट बढ़ाओ विधवाओं को बचाओ

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)

चालू वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार ने विधवा पेंशन देय हेतु राशि को 250 से बढ़ाकर 400 रू. प्रतिमाह कर दिया है। जबकि एक विधवा के लिए 400 रू. बहुत कम राशि है फिर भी यह वृद्धि एक सार्थक कदम है, लेकिन चालू वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार ने विधवा पेंशन हेतु वित्तीय प्रावधान को नहीं बढ़ाया तो लाभान्वितों की संख्या बढ़ाना असम्भव रहेगा साथ ही गत वर्ष जिन विधवा महिलाओं को पेंशन मिली थी उनमें से भी करीब 1 लाख विधवा महिलाऐं वंचित रह जायेंगी। इस मुद्दे को लेकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में अभी करीब 16 लाख विधवाऐं है जिनमें से बहुत सारी विधवाऐं अत्यन्त गरीब हैं। लेकिन आवाज उठाने से पहले इस विषय को समझने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों के बजट को देखना होगा।

2005–06

वर्ष 2005–06 में विधवा पेंशन की वास्तविक व्यय राशि 49 करोड़ 59 लाख 50 हजार थी। इसका लाभ उठाने वाली विधवा महिलाओं की संख्या 2 लाख से कुछ ज्यादा रही। प्रत्येक विधवा महिला को 200 रू. प्रति माह दिया जा रहा था।

2006–07

वर्ष 2006–07 के संशोधित बजट के अनुसार विधवा पेंशन की राशि 75 करोड़ 75 लाख कर दी गई।* इसी वर्ष एक और संशोधन किया गया। 200 रू. प्रति माह की जगह 250 रू. प्रति माह कर दिया गया। अगर वास्तविक व्यय संशोधित बजट के अनुसार रहेगा तो 2006–07 में लाभ उठाने वाली विधवा महिलाओं की संख्या करीब 2 लाख 52 हजार 500 हो जायेगी।

2007–08

वर्ष 2007–08 में प्रस्तावित राशि 75 करोड़ 75 लाख है, जो पिछले वर्ष की राशि के बराबर है।* वर्ष 2007–08 में एक और संशोधन किया गया है – प्रतिमाह राशि 250 से बढ़ाकर 400 रू. कर दी गई। इस वर्ष इस योजना की लाभ उठाने वाली विधवा महिलाओं की संख्या लगगभ 1 लाख 57 हजार 812 रह जायेगी जो पिछले साल की तुलना में करीब 1 लाख कम होगी।

अन्ततः सारांश रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रति माह राशि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन कुल आवंटन राशि नही बढ़ाई जायेगी तो पिछले वर्ष के अनुसार करीब 1 लाख विधवा महिलाऐं विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे जायेंगी, तो फिर प्रतिमाह राशि बढ़ाने का यह दिखावा क्यों किया जा रहा है ?

अगर हमें लाभान्वितों की संख्या न्यूनतम पिछले वर्ष के समान बनाये